



संदर्भ सं. राबैं.प्र.का.पर्यवि.केवाईसी-एएमएल/166126/पी-165/2024-25 19 मार्च 2025
बाह्य परिपत्र सं.75/ डॉस-05/2025

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय/महोदया,

नाबार्ड द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) से संबंधित पुराने परिपत्रों को निरस्त करना

नाबार्ड द्वारा जारी केवाईसी, एएमएल और सीएफटी से संबंधित विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा और मौजूदा नियामक ढांचे पर विचार करने के बाद, इस दस्तावेज के साथ 'अनुलग्नक' के रूप में संलग्न परिपत्रों/दिशानिर्देशों को निरस्त किया जाता है।

2. इस विषय पर समय-समय पर जारी/अद्यतन किए गए आरबीआई मास्टर निदेश मान्य होंगे।

भवदीय,

हस्त/-

(सुधीर कुमार राय)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: 022 6812 0039 • फैक्स : +91 22 2653 0103 • ई-मेल : dos@nabard.org

Department of Supervision

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: 022 6812 0039 • Fax : +91 22 2653 0103 • E-mail : dos@nabard.org

अनुबंध

जारी किए गए परिपत्र के साथ निरस्त परिपत्रों की सूची

क्रम संख्या	दिनांक	संदर्भ सं	परिपत्र सं	को जारी	विषय
1.	28-03-2003	राबै.डॉस.प्रका.पॉल.1 287/ जे- 1/2002/03	परिपत्र सं. 80/ डॉस-9/ 2003	एसटीसीबी	खातों का अनुप्रवर्तन - भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों की अनुपालना - नकद लेनदेन
2.	30-04-2003	राबै.डॉस.प्रका.पॉल. एच -333/ जे- 1/2003-04	परिपत्र सं. 106/ डॉस- 15/2003	आरआरबी	"अपने ग्राहक को जानिए" के दिशानिदेश - मानदंड और नकद लेनदेन
3.	30-04-2003	राबै.डॉस.प्रका.पॉल. एच -271/ जे- 1/2003-04	परिपत्र सं. 101/ डॉस -14/ 2003	आरसीबी	"अपने ग्राहक को जानिए" के दिशानिदेश-मानदंड और नकद लेनदेन
4.	14-06-2004	राबै.डॉस.प्रका.पॉल. 818 / जे-1/2004- 05	परिपत्र सं.144/ डॉस-18/ 2004	आरआरबी	ग्राहक सूचना
5.	14-06-2004	राबै.डॉस.प्रका.पॉल. 816/ जे-1/2004- 05	परिपत्र सं..143/ डॉस-17/ 2004	आरसीबी	ग्राहक सूचना
6.	15-06-2004	राबै.डॉस.प्रका.पॉल. 822 / जे- 1/2004/05	परिपत्र सं. 146/ डॉस-20 /2004	आरआरबी	"अपने ग्राहक को जानिए " के दिशानिदेश - मानदंड और नकद लेनदेन - अनुपालना
7.	15-06-2004	राबै.डॉस.प्रका.पॉल. 820/ जे- 1/2004/05	परिपत्र सं. 145/ डॉस-19 /2004	आरसीबी	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड और नकद लेनदेन - अनुपालना
8.	28-08- 2004	राबै.डॉस.प्रका.पॉल. 2071 / जे- 1/2004-05	परिपत्र सं. 231 / डॉस-40 /2004	आरसीबी	"अपने ग्राहक को जानिए ' के दिशानिदेश व मानदंड - विद्यमान खातें
9.	28-08- 2004	राबै.डॉस.प्रका.पॉल. 2069 / जे- 1/2004-05	परिपत्र सं. 230 / डॉस -39/ 2004	आरआरबी	"अपने ग्राहक को जानिए ' के दिशानिदेश व मानदंड - विद्यमान खातें
10.	17-03-2008	राबै.डॉस.प्रका.पॉल/ 4730/जे-1/2007- 08	परिपत्र सं. 39 /डॉस-6 /2008	आरसीबी	'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' दिशानिदेश - काले धन को वैध बनाने विरोधी (एएमएल) मानक
11.	17-03-2008	राबै.डॉस.प्रका.पॉल/ 4728/जे-1/2007- 08	परिपत्र सं. 38/डॉस-5 /2008	आरआरबी	'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' दिशानिदेश - काले धन को वैध बनाने विरोधी (एएमएल) मानक

क्रम संख्या	दिनांक	संदर्भ सं	परिपत्र सं	को जारी	विषय
12.	11-09-2009	राबै.डॉस.प्रका.पॉल/ 2415/एम- 29/2009-10	परिपत्र सं. 151 /डॉस-28 /2009	आरआरबी	धनशोधन निवारण (एएमएल) वित्तीय आतंकवाद का सामना (सीएफटी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों की समीक्षा बैठक
13.	04-11-2011	राबै.डॉस.प्रका.पॉल/ 2970 /पी-165 / 2011-12	परिपत्र सं. 217 / डॉस - 25 / 2011	आरआरबी व आरसीबी	'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)'/ धनशोधन निवारण (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण कोम्बैटिंग (सीएफटी) के कार्यान्वयन पर कार्यशाला -सह समीक्षा बैठके - कार्रवाई बिन्दु
14.	21-03-2016	राबै.डॉस.प्रका.पॉल / 4302/ जे-1 / 2015-16	परिपत्र सं.51/ / डॉस -7/ 2016	आरआरबी व आरसीबी	'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' निदेश, 2016
15.	12-07-2017	राबै.डॉस.प्रका.पॉल / 1462/ जे-1 / 2017- 18	परिपत्र सं.173/ / डॉस -16/ 2017	आरआरबी व आरसीबी	'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' निदेश, 2016
16.	20-01-2020	राबै.डॉस.प्रका.पॉल / 2896/ जे-1 / 2019-20	बाह्य परिपत्र सं 23/ डॉस - 3/ 2019-29	आरआरबी व आरसीबी	'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' निदेश, 2016
17.	07-09-2020	राबै.डॉस.प्रका.पॉल /2014 /एनश्योर / जे-177 / 2020-21	बाह्य परिपत्र सं 236/ डॉस -36/2020	आरआरबी व आरसीबी	'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' निदेश, 2016
18.	09-04-2021	राबै.डॉस.प्रका.पॉल / 104 / जे-1 / 2021- 22	बाह्य परिपत्र सं 52 / डॉस - 05 /2021	आरआरबी व आरसीबी	वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) म्यूचुअल इवैल्यूएशन - 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' / धनशोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) - कार्यान्वयन
19.	30-05-2023	राबै.डॉस.प्रका.पॉल /583/ पी -165 / 2023-24	बाह्य परिपत्र सं 108/ डॉस -30/2023	आरआरबी व आरसीबी	'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' पर मास्टर निदेश (एमडी) का संशोधन

नोट : सूचीबद्ध परिपत्रों के अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा इस परिपत्र की तारीख तक जारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों पर लागू और केवाईसी/एएमएल/सीएफटी से संबंधित जारी अन्य किसी परिपत्र को निरस्त माना जाए. तथापि 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निर्देश एनश्योर पोर्टल में केवाईसी विवरणी का प्रकाशन' से संबंधित दिनांक 06 दिसम्बर 2022 का परिपत्र सं राबै.डॉस.प्रका.पॉल /5076/ जे-177 / 2022-23 प्रभावी रहेगा.